रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 1974/कार्तिक 21, 1896
No. 288] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 1974/KARTIKA, 21, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Secretariat Lib.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November 1974

THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974), the Central Government hereby frames the following Scheme, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**—(1) This Scheme may be called the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974.

(2) It shall come into force on the 15th day of November, 1974.

(3) It applies to all persons to whom the provisions of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974) apply.

2. **Definition.**—(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "account" means a Compulsory Deposit Account under this Scheme;

(b) "Act" means the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974);

(c) "assessment year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of April every year.

(d) "depositor" means a person who is liable to make a compulsory deposit under the Act;

(e) "deposit office" means—

(i) an office of the Reserve Bank of India.

(ii) a branch or office of the State Bank of India and any subsidiary bank of the State Bank of India; and

(iii) an office or branch of a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(f) "Income-tax Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(g) "paragraph" means a paragraph of this Scheme and "sub-paragraph" means a sub-paragraph of the paragraph in which it occurs.

(h) "section" means a section of the Act;

(2) All references to "Forms" in this Scheme shall be construed as references to the forms set out in the Appendix hereto.

3. **Deposit when to be made.**—The amount of the compulsory deposit may be deposited before the expiry of the due date either in one lump sum or in two or more instalments so, however, that not more than one deposit shall be made in any quarter.

Explanation.—For the purposes of this paragraph,—

(a) "due date" means,—

(i) in a case where the depositor is required to pay advance tax under the Income-tax Act in the financial year immediately preceding the assessment year for which the compulsory deposit is required to be made, the date on which the last instalment of advance tax is payable by the depositor in accordance with the provisions of section 211 or, as the case may be, sub-section (3A) of section 212 of that Act;

(ii) In a case where the depositor is required to make the compulsory deposit on the basis of his estimated current income as defined in clause (c) of sub-section (3) of section 4, the 31st day of March of the financial year immediately preceding the assessment year for which the compulsory deposit is required to be made.

(iii) in a case where the depositor is required to make the compulsory deposit under an order passed by the Income-tax Officer under sub-section (1) of section 6, the date ending with the expiry of thirty-five days of the service of the notice issued by the Income-tax Officer under sub-section (1) of section 14;

(b) "quarter" means the period of three months ending respectively on June 30th, September 30th, December 31st and March 31st in any financial year.

4. **Manner of deposite.**—(1) Every person required to make a compulsory deposit under the Act for the first time shall apply to the deposit office in Form A, or as near thereto as may be, together with the amount of deposit.

(2) On receipt of an application under sub-paragraph (1), the deposit office shall open an account in the name of the depositor and issue a pass book to him wherein the amount of every deposit made by, or any arrear of compulsory deposit recovered from, the depositor shall be entered over the signature of the officer in charge with the date stamp.

(3) Subject to the provisions of sub-paragraph (5), every deposit shall be made either in cash or by crossed cheque drawn in favour of the deposit office on a bank at the place where the deposit office is situated into the office at which the account stands.

(4) Every deposit shall be evidenced by a receipt issued in Form B, or as near thereto as may be, by the deposit office.

(5) (a) Where any arrear of compulsory deposit is recovered from a depositor under the provisions of Chapter XVII-D of the Income-tax Act, the Income-tax Officer shall send a communication in writing to the depositor concerned in that regard and also require the depositor to intimate the deposit office at which he desires to open an account or, as the case may be, the deposit office at which he has already opened an account under this Scheme.

(b) On receipt of the intimation referred to in clause (a), the Income-tax Officer shall advise the deposit office concerned in regard to the arrear of compulsory deposit recovered by him.

(c) On receipt of the communication referred to in clause (a), the depositor may, in a case where an account has not been opened in his name in any deposit office, apply to the deposite office in Form C, or as near thereto as may be, and thereupon the provisions of sub-paragraph (2) shall apply accordingly.

5. **Proof regarding compulsory deposit.**—(1) The receipt referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 4 shall be forwarded by the depositor along with the return of income for the assessment year for which the compulsory deposit is made in proof of having made the deposit.

(2) The Income-tax Officer may, for the purposes of verification, require the depositor to produce the pass book issued to him by the deposit office.

(3) Where in the case of any depositor, a deduction is made under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), the depistor shall also forward, along with the return of income for the assessment year immediately following the financial year in which the deduction is made, a certificate issued by the specified authority evidencing the amount deducted in his case during the said financial year

Explanation.—In this sub-paragraph, "specified authority" shall have the meaning assigned to it in clause (n) of section 2 of the Additional Eomluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974).

6. **Transfer of accounts.**—A depositor may apply for transfer of his account from any office or branch of a bank referred to in clause (e) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 to any other office or branch of the same bank.

7. **Issue of duplicate pass books, etc.**—(1) In the event of loss or destruction of a pass book issued by the deposit office, the deposit office may, on application made to it in this behalf and on payment of a fee of two rupees, issue a duplicate thereof.

(2) In the event of loss or destruction of the original receipt referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 4, the deposit office may, on an application made to it in this behalf and on payment of a fee of one rupee, grant the applicant a duplicate thereof.

8. **Notice of demand.**—The notice required to be sent by the Income-tax Officer under sub-section (1) of section 14 shall be in Form D.

9. **Interest.**—(1) The deposit made or recovered under this Scheme shall carry simple interest at a rate equal to the bank deposit rate to be calculated from the 1st day of the month immediately following the month in which the amount of the deposit is credited to the account of the depositor to the last day of the month immediately preceding the month in which the whole or, as the case may be, part of the amount of the compulsory deposit becomes repayable (both days inclusive).

(2) Where, at any time after a deposit is made by or recovered from the depositor, there is an increase or reduction in the bank deposit rate, interest in respect of so much of the period as falls after the 1st day of the month immediately following the month in which the bank deposit rate is increased or reduced shall be calculated at the rate so increased or reduced.

10. **Repayment.**—(1) The amount of compulsory deposit with interest thereon shall be repayable in accordance with the provisions of section 8 at the deposit office at which the account of the depositor stands.

(2) Where the Incometax Officer authorises earlier repaymnt of the deposit, he shall issue to the person entitled to receive payment an order in writing requiring the deposit office concerned to pay him the amount and shall advise the deposit office accordingly.

(3) On production of the order of the Income-tax Officer by the person concerned and on receipt of the advice from the Income-tax Officer, the deposit office shall immediately repay the deposit with interest thereon.

(4) The repayment of a deposit shall be made only on production of the pass book accompanied by an application in Form E, or as near thereto as may be.

11. **Nomination.**—(1) A depositor, being an individual, may nominate in Form F, or as near thereto as may be, one or more persons who shall be entitled to receive the deposit to his credit with interest thereon, in the event of his death before the last yearly instalment has become payable or, having become payable, has not been paid.

(2) Where the deposit, together with interest thereon, is payable to two or more nominees and either or any of them is dead, the amount shall be paid to the surviving nominee or nominees.

(3) No nomination shall be made in respect of an account opened and held by the depositor on behalf of a minor.

(4) A nomination made by the depositor may be cancelled or changed by a fresh nomination in Form G, or as near thereto as may be, by giving a notice in writing to the deposit office in which the account stands.

(5) Every nomination and every cancellation or changed thereof shall be registered in the deposit office and shall be effective from the date of such registration, the particulars of which shall be entered in the pass book.

(6) If the nominee is a minor, the depositor may appoint any person to receive the amount due under the account in the event of his death during the minority of the nominee.

12 **Repayment where the account is held on behalf of a minor.**—(1) Repayment of the deposit together with interest thereon standing to the credit of a minor may be made, during the period of his minority, to his parent or guardian for the use of the minor.

(2) An account opened on behalf of a minor shall be operated upon by him on his attaining majority under the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875) and on his being identified to the satisfaction of the officer in charge of the deposit office.

APPENDIX

FORM A

COMPULSORY DEPOSITS

APPLICATION FOR OPENING A COMPULSORY DEPOSIT ACCOUNT UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974.

[*See* paragraph 4(1) of the Compulsory Deposit (Income-tax Peyars) Scheme, 1974]

To

.....

.....

.....

I,.....,

(Name in block letters)

son/daughter/wife of..... resident

of.....

.....

(address)

hereby apply for opening an account under the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974 in my name*/in the name of..... son/daughter/wife of..... and tender herewith Rs.....(Rupees.....
only) in cash*/cheque as the initial amount of deposit.

**2. The deposit is made by me as guardian on behalf of.....who is a minor and whose date of birth is.....,,

†3. The deposit is made by me as karta of..... a Hindu undivided family.

††4. I wish to make a nomination in respect of the amount to my credit in the said account/I do not wish to make a nomination in respect of the amount to my credit in the said account, at present.

.....

Date..... Signature of the depositor

Place..... Permanent Account No.....

NOTES.—*(1) Delete what is not applicable.

**(2) For deposits on account of minors.

†(3) For deposits on behalf of a Hindu undivided family.

††(4) Only for individuals who are not minors.

Delete what is not applicable.

(To be filled in by the deposit office)

The account has been opened on.....with Rs.....under Compulsory Deposit Account No..... Pass Book has been issued.

.....

Signature of the Officer in-charge

.....

Specimen Signature of the depositor.

FORM B

COMPULSORY DEPOSITS

RECEIPT FOR THE DEPOSIT UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974

[*See* paragraph 4(4) of he Compulsory Deposit (Incoome-tax Payers) Scheme, 1974]

Name of the deposit office.....

Receipt No.....

1. Received from....., whose Permanent
(Name of depositor)
Account No. is....., Rs.....(Rupees only) for credit into Compulsory Deposit Account No.....

2. Received from....., whose Pemanent
(Name of depositor)
Account No. is..... the communication sent to him by the Income-tax Officer.....under paragraph 4(5) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974 stating that an amount of Rs.....(Rupees..... only) has been recovered towards the compulsory deposit required to be made by the said.....

.....

Signature of the Officer in-charge.

Date.....

Place.....

Seal.

NOTES.—(1) Score out paragraph 1 or paragraph 2, as the case may be.

(2) This receipt should be preserved carefully and forwarded by the depositor along with the return of income for the assessment year for which the compulsory deposit is made in proof of having made the deposit.

FORM C

COMPULSORY DEPOSITS

APPLICATION FOR OPENING A COMPULSORY DEPOSIT ACCOUNT UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974, WHERE DEPOSIT HAS BEEN RECOVERED BY INCOME-TAX OFFICER

[*See* paragraph 4(5) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974]

To

.....
.....

I,.....
(Name in block letters)

son/daughter/wife of.....
resident of.....
(Address)

hereby apply for opening an account under the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974 in my name*/in the name of.....
son/daughter/wife of.....

A sum of Rs.....(Rupees.....
.....only) has been recovered under the provisions of Chapter XVII-D of the Income-tax Act, 1961 towards the compulsory deposit required to be made by...../by me. The communication received from the Income-tax Officer in this behalf under paragraph 4(5) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974 is enclosed in original.

**2. The application is made by me as guardian on behalf of.....
.....who is a minor and whose date of birth is.....

†3. The application is made by me as karta of.....
.....a Hindu undivided family.

††4. I wish to make a nomination in respect of the amount to my credit in the said account/I do not wish to make a nomination in respect of the amount to my credit in the said account, at present.

.....
Signature of the depositor.
Permanent Account No.....

Date.....
Place.....

NOTES.—*(1) Delete what is not applicable.

**(2) For deposits on account of minors.

†(3) For deposits on behalf of a Hindu undivided family.

††(4) Only for individuals who are not minors.

Delete what is not applicable.

(To be filled in by the deposit office)

The account has been opened on.....with Rs.....under Compulsory Deposit Account No.....Pass Book has been issued.

.....
Specimen signature of the depositor.

.....
Signature of the Officer in-charge.

Date.....
Place.....

FORM D

COMPULSORY DEPOSITS

NOTICE OF DEMAND UNDER SECTION 14(1) OF THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) ACT, 1974

[*See* paragraph 8 of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974]

To

.....
.....
.....

Status

Permanent Account No.....

1. This is to give you notice that a compulsory deposit of Rs..... has to be made by you for the assessment year..... The amount should be deposited by you in any deposit office within thirty-five days of the service of this notice.

2. This is to give you notice that for the assessment year..... a sum of Rs.....has been determined to be payable by you by way of penalty, details whereof are given on the reverse. The amount should be paid to the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer/Agent, State Bank of India/ Reserve Bank of India at.....within thirty-five days of the service of the notice. A chalan is enclosed.

3. If you do not deposit/pay the amount within the period specified above, proceedins for the recovery thereof will be taken in accordance with applied sections 222 to 229, applied section 231 and applied section 232 of the Income-tax Act, 1961.

4. If you intend to appeal against the order determining the compulsory deposit required to be made by you or the penalty required to be paid by you, you may present an appeal under Part A of Chapter XX of the Income-tax Act, 1961 to the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, within thirty days of the receipt of this notice, in Form No 35 of the Income-tax Rules, 1962, or as near thereto as may be, duly stamped and verified as laid down in that Form.

5. The amount has become due as a result of the order of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax/Commissioner of Income-tax,..... under applied section.....of the Income-tax Act, 1961. If you intend to appeal against the aforesaid order, you may present an appeal under Part B of Chapter XX of the said Act to the Income-tax Appellate Tribunal within sixty days of the receipts of that order in Form No. 36 of the Income-tax Rules, 1962, or as near thereto as may be duly stamped and verified, as laid down in that Form.

.....

Income-tax Officer

Address.....

Date.....

Place.....

Seal

FORM E

COMPULSORY DEPOSITS

APPLICATION FOR REPAYMENT OF DEPOSITS UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974

[*See* paragraph 10(4) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974]

To

.....
.....
.....

1. I wish to withdraw the annual instalment due in repayment of the deposit of Rs..... .made during the financial year 19.....19.... in Compulsory Deposit Account No:.....In my name/in the name of..... The Pass Book is enclosed.

2. I wish to withdraw the amount to the credit of Compulsory Deposit Account No.....in my name/in the name of..... The Income-tax Officer has authorised the earlier repayment of the deposit under the proviso to section 8 of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Act, 1974. The said order of the Income-tax Officer in original and the Pass Book are enclosed.

.....

Signature of the depositor

Permanent Account No.....

Date.....

Place.....

NOTE.—Score out paragraph 1 or paragraph 2, as the case may be.

FORM F

COMPULSORY DEPOSIT

NOMINATION UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974

[*See* paragraph 11(1) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974]

To

.....

.....

1. I hereby nominate the person/persons mentioned below to whom, in the event of my death, the amount standing to my credit in Compulsory Deposit Account No.....at the time of my death would be payable:—

S. No	Name of the nominee	Full address	Date of birth of the nominee in case of minor

2. As the nominee/nominees against S. No./S. Nos. specified above is a/are minor/minors, I appoint (Name and full address)

as the person to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of my nominee/nominees.

.....

Signature of the depositor

Witness.....

Permanent Account No.....

The nomination has been registered on and the entry made in the Pass Book.

.....

Date.....

Signature of the officer in-charge.

FORM G

COMPULSORY DEPOSITS

APPLICATION FOR CANCELLATION OR CHANGE OF NOMINATION PREVIOUSLY MADE IN RESPECT OF COMPULSORY DEPOSIT ACCOUNT NO.....UNDER THE COMPULSORY DEPOSIT (INCOME-TAX PAYERS) SCHEME, 1974.

[*See* paragraph 11(4) of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974]

1. I,.....

the depositor of Compulsory Deposit Account No.....hereby cancel the nomination made by me in respect of the Compulsory Deposit Account No.....

2. *In the place of the cancelled nomination, I hereby nominate the person(s) mentioned below who shall on my death, become entitled to the repayment of the sum due on the above Account to the exclusion of all other persons:—

S. No.	Name of the nominee	Full address	Date of birth of nominee in case of minor

*To be filled in case of replacement only.

3. As the nominee/nominees against S. No./S. Nos. specified above is a minor/ are minors I appoint.....
(Name and full address)

as the person to receive the sum due under the said Account in the event of my death during the minority of my nominee/nominees.

.....
Signature of the depositor

Witness.....

Permanent Account No.....

The nomination has been registered on.....and the entry made in the Pass Book.

.....
Signature of the officer in-charge.

Date.....

[No. 772/F. No. 144(1)/74-TPL]

S. R. MEHTA, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1974

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974

सा०का०नि० 463 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना** :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 है ।

(2) यह नवम्बर, 1974 के पंद्रहवें दिन प्रवृत्त होगी ।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों को लागू है जिन्हें अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) लागू है ।

2. **परिभाषाएं** :—(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खाता" से इस स्कीम के, अधीन अनिवार्य निक्षेप खाता अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिनियम" से अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्धारण वर्ष" से प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

(घ) "निक्षेपकर्त्ता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन अनिवार्य निक्षेप करने के दायित्वाधीन है ;

(ङ) "निक्षेप कार्यालय" से अभिप्रेत है :—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के किसी समनुषंगी बैंक की शाखा या कार्यालय ; तथा

(iii) बैंककारी कम्पनी (अर्जन और उपक्रमों का अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक का कार्यालय या शाखा ;

(च) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(छ) "पैरा" से इस स्कीम का पैरा अभिप्रेत है और "उप-पैरा" से उप पैरा का, जिसमें कि वह है ; उप-पैरा अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(2) इस स्कीम में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस से उपाबद्ध पारिशिष्ट में दिए गए प्ररूपों के प्रति निर्देश है ।

3. **निक्षेप कब किया जाएगा** :––अनिवार्य निक्षेप की रकम सम्यक तारीख के अवसान के पूर्व या तो एकमुश्त में या दो या अधिक किश्तों में निक्षिप्त की जाएगी किन्तु इस प्रकार कि किसी तिमाही में एक से अधिक निक्षेप न किया जाए ।

स्पष्टीकरण.––इस पैरा के प्रयोजनों के लिए,––

(क) "सम्यक तारीख" से अभिप्रेत है :––

(i) उस दशा में जहां निक्षेपकर्त्ता से, आय-कर अधिनियम के अधीन, उस निर्धारण वर्ष के, जिस वर्ष लिए अनिवार्य निक्षेप करना अपेक्षित है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर का संदाय अपेक्षित है, वह तारीख जिसको, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 211 या धारा 212 की उपधारा (3क) के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर की अंतिम किश्त निक्षेपकर्त्ता द्वारा देय है ;

(ii) उस दशा में जहां निक्षेपकर्त्ता से धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) में यथा परिभाषित उसकी प्राक्कलित चालू आय के आधार पर अनिवार्य निक्षेप करना अपेक्षित है, उस निर्धारण वर्ष के, जिस वर्ष के लिए अनिवार्य निक्षेप करना अपेक्षित है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की मार्च का इकतीसवां दिन ;

(iii) उस दशा में जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अधिकारी द्वारा पारित आदेश, के अधीन निक्षेपकर्त्ता द्वारा अनिवार्य निक्षेप करना अपेक्षित है, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना की तामील से पैंतीस दिनों के अवसान पर समाप्त होने वाली तारीख ;

(ख) "तिमाही" से अभिप्रेत है तीन मास की वह अवधि जो किसी वित्तीय वर्ष में क्रमश : 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होती हो ।

4. **निक्षेप की रीति** :––(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे अधिनियम के अधीन अनिवार्य निक्षेप करने के लिए प्रथम बार अपेक्षा की गई हो निक्षेप कार्यालय को प्ररूप 'क' में, या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में, निक्षेप की रकम के साथ, आवेदन करेगा ।

(2) निक्षेप कार्यालय उप-पैरा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर निक्षेपकर्त्ता के नाम में एक खाता खोलेगा और उसे एक पासबुक देगा जिसमें उसके द्वारा किए गए प्रत्येक निक्षेप की रकम, या उससे वसूल किए गए अनिवार्य निक्षेप का कोई बकाया, दर्ज किया जाएगा और प्रभारी अधिकारी द्वारा, तारीख की मुहर लगा कर, हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) उप-पैरा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक निक्षेप या तो नकद में या निक्षेप कार्यालय के पक्ष में, किसी ऐसे बैंक के नाम से, जो उसी स्थान पर स्थित हो जहां निक्षेप कार्यालय स्थित है, क्रॉस किए गए चेक के द्वारा उस कार्यालय में जमा किया जाएगा जहां खाता रखा जाता हो ।

(4) प्रत्येक निक्षेप के साक्ष्य स्वरूप प्ररूप 'ख' में या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में एक रसीद निक्षेप कार्यालय द्वारा दी जाएगी ।

(5)(क) जहां किसी निक्षेपकर्त्ता से अनिवार्य निक्षेप के किसी बकाया की वसूली आय-कर अधिनियम के अध्याय 17–घ के उपबंधों के अधीन, की गई हो वहां आय-कर अधिकारी संबंधित निक्षेपकर्त्ता को इस बाबत लिखित रूप में एक संसूचना भेजेगा और उससे यह प्रज्ञापित करने की अपेक्षा करेगा कि वह, यथास्थिति, किस निक्षेप कार्यालय में खाता खोलने की वांछा करता है, अथवा वह कौन सा निक्षेप कार्यालय है जिसमें उसने इस स्कीम के अन्तर्गत पहले ही खाता खोल रखा है ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर आय-कर अधिकारी संबंधित निक्षेप कार्यालय को उसके द्वारा वसूल किए गए अनिवार्य निक्षेप के बकाया की बाबत जानकारी देगा ।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने पर निक्षेपकर्त्ता, उस दशा में जहां किसी निक्षेप कार्यालय में उसके नाम में कोई खाता न खोला गया हो, निक्षेप कार्यालय को प्ररूप 'ग' में, या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में, आवेदन करेगा, तथा तदुपरि उप-पैरा 2 के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

5. **अनिवार्य निक्षेप की बाबत सबूत** ——(1) निक्षेप करने के सबूत के रूप में निक्षेपकर्त्ता पैरा 4 के उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट रसीद को उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ अग्रेषित करेगा जिस वर्ष के लिए अनिवार्य निक्षेप किया गया हो ।

(2) आय-कर अधिकारी सत्यापन के प्रयोजनों के लिए निक्षेप-कर्त्ता से निक्षेप कार्यालय द्वारा उसे दी गई पासबुक प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(3) जहां किसी निक्षेपकर्त्ता की दशा में, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन कटौती की जाए वहां निक्षेपकर्त्ता उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें कटौती की गई हो, ठीक पश्चात्वर्त्ती निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वह प्रमाणपत्र भी अग्रेषित करेगा जो उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मामले में कटौती की गई रकम के साक्ष्य के स्वरूप में हो ।

स्पष्टीकरण.——इस पैरा में "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो उसे अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) की धारा 2 के खंड (ढ) में दिया गया है ।

6. **खातों का अन्तरण.**——निक्षेपकर्त्ता पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (50) में निर्दिष्ट बैंक के किसी कार्यालय या शाखा में अपने खाते के अन्तरण के लिए आवेदन कर सकता है ।

7. **पासबुक आदि की दूसरी प्रति कब जारी किया जाना.**——(1) निक्षेप कार्यालय द्वारा दी गई पासबुक के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में निक्षेप कार्यालय, उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर और दो रुपए फीस का संदाय किया जाने पर, उसकी दूसरी प्रति दे सकता है ।

(2) पैरा 4 के उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट मूल रसीद के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में निक्षेप कार्यालय, उसे इस निमित्त आवेदन किए जाने पर और एक रुपए फीस का संदाय किए जाने पर आवेदक को उसकी दूसरी प्रति दे सकता है ।

8. **मांग की सूचना.**——आय-कर अधिकारी द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन भेजे जाने के लिए अपेक्षित सूचना प्ररूप 'घ' में होगी ।

9. **ब्याज.**—— (1) इस स्कीम के अधीन निक्षिप्त या वसूल किए गए निक्षेप पर, जिस मास में निक्षेप की रकम निक्षेपकर्त्ता के खाते में जमा की जाए उसके ठीक पश्चात्वर्त्ती मास के पहले दिन से लेकर उस मास के, जिस मास में, यथास्थिति अनिवार्य——निक्षेप की रकम सम्पूर्ण : या भागत : प्रतिसंदेय हो, ठीक पूर्ववर्त्ती मास के अंतिम दिन तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए), बैंक निक्षेप दर के बराबर दर पर संगणित साधारण ब्याज लगेगा ।

(2) जहां, निक्षेपकर्त्ता द्वारा निक्षेप किए जाने या उससे उसकी वसूली किए जाने के पश्चात् किसी समय बैंक निक्षेप की दर में वृद्धि या कमी हो जाए वहां उस के ऐसे भाग की बाबत अवधि में जो उस मास के, जिसमें कि बैंक निक्षेप दर में वृद्धि या कमी हुई है, ठीक पश्चात्वर्त्ती मास के प्रथम दिन के पश्चात आता हो, ब्याज इस प्रकार बढ़ी हुई या कम हुई दर पर संगणित किया जाएगा ।

10. **प्रतिसंदाय.** —(1) अनिवार्य निक्षेप की रकम ब्याज के साथ धारा 8 के उपबंधों के अनुसार उस निक्षेप कार्यालय पर प्रतिसंदेय होगी जिसमें निक्षेपकर्त्ता का खाता खुला हुआ है।

(2) जहां आय-कर अधिकारी निक्षेप का पूर्व तर प्रतिसंदाय प्राधिकृत करे वहां वह संदाय प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को लिखित रूप में आदेश जारी करेगा जिसके द्वारा सम्बद्ध निक्षेप कार्यालय में यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निक्षेपकर्त्ता को रकम का संदाय करे तथा पदनुसार इसकी जानकारी निक्षेप कार्यालय को दी जाएगी ।

(3) संबंधित व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिकारी के आदेश को निक्षेप कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर और वहां आय-कर अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होने पर निक्षेप कार्यालय तुरंत निक्षेप की रकम का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करेगा ।

(4) निक्षेप की रकम का प्रतिसंदाय पासबुक, तथा उसके साथ प्ररूप 'ङ०' में, या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में, आवेदन, प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

11. **नामनिर्देशन** :—(1) निक्षेपकर्त्ता, यदि वह व्यष्टि है, प्ररूप 'च' में, या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में, एक या अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकता है जो उसके नाम में जमा रकम तथा उस पर ब्याज को उस दशा में प्राप्त करने का हकदार होगा या होंगे जब निक्षेपकर्त्ता की मृत्यु अंतिम वार्षिक किश्त देय हो जाने या, देय हो जाने किन्तु संदत्त न किए जाने, के पूर्व हो जाए ।

(2) जहां निक्षेप की रकम और उस पर ब्याज दो या अधिक नामनिर्देशितियों को देय हो और उन दोनों की अथवा उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए तो रकम उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिदशितियों को संदत्त की जाएगी ।

(3) उस खाते के सम्बन्ध में कोई नामनिर्देशन नहीं किया जाएगा जो निक्षेपकर्त्ता द्वारा किसी अवयस्क की ओर से खोला गया हो या धारित हो ।

(4) निक्षेपकर्त्ता द्वारा किया गया नामनिर्देशन प्ररूप 'छ' में, या उससे यथासंभव मिलते प्ररूप में नए नामनिर्देशन द्वारा, उस निक्षेप कार्यालय को जिसमें खाता है, लिखित रूप में सूचना देकर, रद्द किया जा सकता है या बदला जा सकता है ।

(5) प्रत्येक नामनिर्देशन और उसका प्रत्येक रद्दकरण या परिवर्तन निक्षेप कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावशील होगा तथा उसकी विशिष्टियां पासबुक में दर्ज की जाएंगी ।

(6) यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है तो निक्षेपकर्त्ता खाते के अन्तर्गत शोध्य रकम को नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान निक्षेपकर्त्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ।

12. **जहां अवयस्क की ओर से खाता धारित हो वहां प्रतिसंदाय** .—(1) किसी अवयस्क के नाम में जमा निक्षेप की रकम और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय, उसकी अवयस्कता की अवधि के दौरान, उस अवयस्क के उपयोग के लिए, उसके माता-पिता या संरक्षक को किया जा सकता है ।

(2) अवयस्क की ओर से खोला गया खाता, भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अधीन अवयस्क द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर और निक्षेप कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समाधानप्रद रूप से उसका प्रतिज्ञान हो जाने पर उसके द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा ।

परिशिष्ट

प्रपत्र 'क'

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन अनिवार्य निक्षेप खाता खोलने के लिए आवेदन

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 4(1) देखिए]

सेवा में

———————

———————

———————

मैं———————————————————————————

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री ———————————————————————————

निवासी ———————————————————————————

(पता)

———————अपने / अपने पुत्र/पुत्री/पत्नी ——————————————

———————, के नाम से *अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं और मैं इसके साथ निक्षेप की आरम्भिक रकम के रूप में नकद* में /चेक द्वारा————रू० (केवल————रुपये) निविदत्त कर रहा हूं।

**2. मैंने यह निक्षेप————————के, जो अवयस्क है और जिसकी जन्म तिथि————————है, संरक्षक के रूप में किया है।

†3. मैंने यह निक्षेप————————के, जो एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, कर्त्ता के रूप में किया है।

††4. मैं उक्त खाते में अपने नाम में जमा रकम की बाबत नाम-निर्देशन करना चाहता हूं/ मैं, इस समय, उक्त खाते में अपने नाम में जमा रकम की बाबत नाम-निर्देशन नहीं करना चाहता हूं।

———————

निक्षेपकर्त्ता के हस्ताक्षर

तारीख————————

स्थान———————— स्थायी खाता सं०————————

टिप्पण:—*(1) जो लागू न हो, उसे काट दें।

**(2) अवयस्कों के सदृ निक्षेपों के लिए।

†(3) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की ओर से निक्षेपों के लिए।

††(4) केवल ऐसे व्यष्टियों के लिए, जो अवयस्क नहीं हैं।

जो लागू न हों, उसे काट दें।

(इसे निक्षेप कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

खाता तारीख————को————रु० से खोला गया है और उसकी अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या————है। पास-बुक दे दी गई है।

———————

———————

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

निक्षेपकर्त्ता के हस्ताक्षर का नमूना

तारीख————————

प्ररूप 'ख'

अनिवार्य निक्षेप

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन निक्षेप की रसीद

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 4(4) देखिए]

निक्षेप कार्यालय का नाम----------

रसीद सं०----------

1--अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या----------में जमा करने के लिए ----------से, जिनकी स्थायी खाता संख्या ----------है,
(निक्षेपकर्ता का नाम)
----------रु० (केवल----------रुपये) प्राप्त किए ।

2. अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के पैरा 4 (5) के अधीन, ----------से, जिनकी स्थायी खाता संख्या----------
(निक्षेपकर्ता का नाम)
----------है, आय-कर अधिकारी द्वारा उनको भेजी गई संसूचना प्राप्त की, जिसमें उल्लेख है कि----------रु० (केवल----------रुपये) की रकम, जो उक्त----------द्वारा अनिवार्य निक्षेप मद्दे जमा किए जाने के लिए अपेक्षित थी, वसूल कर ली गई है ।

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख----------

स्थान----------

मुद्रा----------

टिप्पण.--(1) यथास्थिति, पैरा 1 या पैरा 2 काट दें ।

(2) यह रसीद सावधानीपूर्वक रखी जानी चाहिए और उस निर्धारण वर्ष के, जिसके लिए अनिवार्य निक्षेप किया गया है, आय की विवरणी के साथ निक्षेपकर्ता द्वारा, निक्षेप किए जाने के प्रमाण-स्वरूप, भेजी जानी चाहिए ।

प्ररूप ग

अनिवार्य निक्षेप

जहां आय-कर अधिकारी द्वारा निक्षेप वसूल कर लिया गया है, वहां अनिवार्य निक्षेप (आय-कर-दाता) स्कीम, 1974 के अधीन अनिवार्य निक्षेप खाता खोलने के लिए आवेदन

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 4(5) देखिए]

सेवा में,

———————————

———————————

———————————

मैं, ———————————————————————

(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री———————————————————,

निवासी ———————————————————————

(पता)

———————————अपने/अपने पुत्र/पुत्री/पत्नी———————————

———————————, के नाम से,* अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं ।———————रु० (केवल———————रुपए) की रकम, जो———————————द्वारा/मेरे द्वारा अनिवार्य निक्षेप के मद्दे जमा किये जाने के लिए अपेक्षित थी, आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17-घ के उपबन्धों के अधीन वसूल कर ली गयीं हैं । अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के पैरा 4(5) के अधीन इस विषय में आय-कर अधिकारी से प्राप्त मूल संसूचना संलग्न है ।

**2. यह आवेदन मैंने———————————की ओर से, जो अवस्यक है और जिसकी जन्म-तिथि———————————है, संरक्षक के रूप में किया है ।

†3. यह आवेदन मैंने———————————के, जो एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, कर्ता के रूप में किया है ।

††4. मैं उक्त खाते में अपने नाम में जमा रकम की बाबत नाम-निर्देशन करना चाहता हूं । मैं, इस समय, उक्त खाते में अपने नाम में जमा रकम की बाबत नाम-निर्देशन नहीं करना चाहता हूं ।

———————————

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख———————————

स्थान———————————

स्थायी लेखा सं०———————

टिप्पण.—*(1) जो लागू न हो, उसे काट दें ।

**(2) अवयस्कों के मद्दे निक्षेपों के लिए ।

†(3) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की ओर से निक्षेपों के लिए ।

††(4) केवल ऐसे व्यष्टियों के लिए, जो अवयस्क नहीं हैं । जो लागू न हो, उसे काट दें ।

(इसे निक्षेप कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

खाता तारीख..... को रूप में खोला गया है और उसको अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या.....है । पास-बुक दे दी गई है ।

पदधारी प्राधिकारी के हस्ताक्षर

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर का नमूना

तारीख.....

प्ररूप 'ब'

अनिवार्य निक्षेप

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 की धारा 14(1) के अधीन मांग की सूचना

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 8 देखिए]

सेवा में

प्रास्थिति———————

स्थायी खाता संख्या.....

1. इसके द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि आपको निर्धारण वर्ष..... के लिए.....रु. का अनिवार्य निक्षेप करना है । आपको यह रकम इस सूचना की तामील से पंद्रह दिन के भीतर किसी निक्षेप कार्यालय में जमा कर देनी चाहिए ।

2. इसके द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि यह अवधारित किया गया है कि आपको निर्धारण वर्ष.....के लिए,.....रु० की रकम शास्ति के रूप में देनी होगी जिसका ब्यौरा इसके पृष्ठ भाग में दिया गया है । यह रकम इस सूचना की तामील से पैंतीस दिन के भीतर.....स्थित खजाना अधिकारी/उप-खजाना अधिकारी/अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक को संदत्त की जानी चाहिए । चालान संलग्न है ।

3. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम को जमा/उसका संदाय नहीं करते हैं, तो उसकी वसूली के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की लागू धारा 222 से 229, लागू धारा 231 और लागू धारा 232 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

4. यदि आप उस आदेश के विरुद्ध, जिसके द्वारा आप के द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित अनिवार्य निक्षेप या आपके द्वारा संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित शास्ति का अवधारण किया गया है, अपील करना चाहते हैं तो आप आय-कर नियम, 1962 के प्ररूप संख्या 35 में या यथासंभव मिलते प्ररूप में, उस प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट रूप में सम्यक् रूप से स्टाम्पित और सत्यापित अपील इस सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, पदधारक आयकर अपील आयुक्त को, आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20 के भाग क के अधीन उपस्थित कर सकते हैं ।

5 यह रकम, आय-कर अधिनियम, 1961 की लागूधारा . . . के अधीन, सहायक आय-कर अपील आयुक्त के आदेश के परिणामस्वरूप शोध्य है । यदि आप पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप आय-कर नियम, 1962 के प्ररूप संख्या 36 या उससे यथासम्भव मिलते प्ररूप में, उक्त प्ररूप में अधिकथित रूप में, सम्यक् रूप से स्टाम्पित और सत्यापित अपील, उस आदेश की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर आय-कर अपील अधिकरण को, उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के भाग ख के अधीन, उपस्थापित कर सकते हैं ।

.

आय-कर अधिकारी

पता

स्थान

तारीख

मुद्रा

प्ररूप 'ङ'

अनिवार्य निक्षेप

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए आवेदन

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 10(4) देखिए]

सेवा में,

.

.

.

1. मैं अपने नाम से के नाम में अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या में वित्तीय वर्ष 19. . 19. . के दौरान जमा रकम के प्रतिसंदाय महे णीय्य आस्थिर किश्त निकालना चाहता हूं । पास बुक संलग्न है ।

2. मैं अपने नाम से के नाम में अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या में जमा रकम निकालना चाहता हूं । आय-कर अधिकारी ने अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) अधिनियम 1974 की धारा 8 के परन्तुक के अधीन निक्षेप का पूर्वतर प्रतिसंदाय प्राधिकृत कर दिया है । आय-कर अधिकारी का उक्त मूल आदेश और ज्ञाप-पत्र संलग्न हैं ।

.

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर

स्थायी खाता संख्या

तारीख

स्थान

टिप्पण उपाबन्धित, पैरा 1 या पैरा 2 काट दें ।

प्ररूप 'ख'

अनिवार्य निक्षेप

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम 1974 के अधीन नाम निर्देशन

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 11(1) देखिए]

सेवा में

.

.

.

मैं नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करता हूं, जिसको/जिनको, मेरी मृत्यु की दशा में, मेरी मृत्यु के समय अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या में मेरे नाम में जमा में की रकम संदेय होगी —

क्रम संख्या	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उसकी जन्म-तिथि

2. चूंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या/क्रम संख्याओं के सामने उल्लिखित नाम-निर्देशिती अवयस्क है/हैं, अतः मैं

(नाम और पूरा पता)

को, ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं जो, मेरे नाम-निर्देशिती/नाम-निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में, उक्त खाता के अधीन शोध्य रकम प्राप्त करेगा ।

.

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर

स्थायी खाता सं.

साक्षी

नाम-निर्देशन तारीख को रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है और नाम-बुक में प्रविष्टि कर दी गई है ।

.

तारीख प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप "छ"

अनिवार्य निक्षेप

अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 के अधीन अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या को बाबत पहले किए गए नाम-निर्देशन के रद्दकरण या उसमें परिवर्तन के लिए आवेदन

[अनिवार्य निक्षेप (आय-कर दाता) स्कीम, 1974 का पैरा 11(4) देखिए]

1. मैं, ..., जो कि अनिवार्य निक्षेप खाता संख्या का निक्षेपकर्ता हूं, अनिवार्य निक्षेप खाता सं० की बाबत अपने द्वारा किए गए नाम-निर्देशन को रद्द करता हूं।

2. *रद्द किए गए नाम नाम-निर्देशन के स्थान पर मैं नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम निर्देशित करता हूं, जो, मेरी मृत्यु होने पर, अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए, उपर्युक्त खाता के अधीन शोध्य राशि के परिसंदाय का हकदार/के हकदार होगा/होंगे :—

क्रम सं०	नाम निर्देशिती का नाम	पूरा पता	यदि नाम निर्देशिती अवयस्क है तो उसकी जन्म तिथि

*इसे केवल प्रतिस्थापन की दशा में भरा जाना है।

3. चूंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या/क्रम संख्याओं के सामने उल्लिखित नाम निर्देशिती अवयस्क है/हैं, अतः मैं को ऐसे व्यक्ति के रूप में

(नाम और पता)

नियुक्त करता हूं जो, मेरे नाम-निर्देशिती/निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में, उक्त खाता के अधीन शोध्य राशि प्राप्त करेगा।

.....

निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर

साक्षी

स्थायी खाता सं०

नाम-निर्देशन तारीख को रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है और पार्श्व-बुक में प्रविष्टि कर दी गई है।

.....

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

[फा० सं० 772/सं० 144(1)/74—टी०पी०एल०]

एम० आर० मेहता, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974